न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/85/18	02-07-2018	24-10-2018

01. लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री मोहर सिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम ईसरोदा उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, ग्राम पंचायत ईसरोदा तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 26-02-2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1025/2001 पर उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई रोकने

उपस्थितः-

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार —रेस्पौडेण्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 26-02-2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1025/2001 पर उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई रोकने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई बिना सुने रोकी गई है, जबकि सप्लाई रोके जाने एवं निलम्बित किये जाने के आदेश 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है। दिनांक 25.5.2018 तक भी अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत ईसरोदा तहसील तिजारा में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/2 भाग ग्राम पंचायत ईसरोदा में उचित मूल्य की दुकान का संचालित करता है जो वर्ष 2001 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। आलौच्य आदेश दिनांक 26.02.2018 जारी करने से पूर्व कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी उपभोक्ता की शिकायत नही है अकारण ही अपीलान्ट की सप्लाई रोकी गई है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात् सप्लाई रोके जाने/निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिए था, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही सप्लाई रोके जाने/निलम्बित लाईसेंस बहाल हो जाता है। इस बाबत श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाघ नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-09-2008 एवं

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

Scanned by CamScanner

07-07-2009 में दिशा निर्देश दिये हुए है। लेकिन जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण पांच माह व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नही किया गया है। Raj. Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. Of Distri.) Order 1976 के सैक्टर 8 क्लॉज 2 के अनुसार " No order of cancellation shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonanble opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of station his case." जिला रसंद अधिकारी द्वारा किसी उपभोक्ता की शिकायत के बिना, किसी जांच कार्यवाही लम्बित रहने के बिना अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान 1/2 भाग ग्राम पंचायत ईसरोदा की उचित मूल्य सामग्री सप्लाई रोकी गई है। अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान के संचालन, उपभोक्ताओं को राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही है उसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की सप्लाई रोके जाने के आदेश किये हुए है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री की सप्लाई चार माह से रोकी हुई है, जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री के वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलान्ट स्वयं का व अपने परिवार का गुजर बसर करता है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जबाव एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है, बेजा रूप से अपीलान्ट की सप्लाई रोकी गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। दिनांक 25.5.2018 तक अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नही किया गया है दिनांक 19.6.2018 को जिला रसद अधिकारी ने यह एलानिया कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नही करेगें जिस कारण से आलौच्य आदेश दिनांक 26.2.2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाया जांना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 26.2.2018 से अपील पेश करने तक के समय को न्यायहित में कण्डोन फरमाते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट की पूर्व की भांति उठाव एवं वितरण (सप्लाई) करने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में ऐसा कोई दस्तावेजात/साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट की उचित मूल्य सामग्री की सप्लाई किसी कारण से रोकी गई है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.2.2018 के विरूद्व दिनांक 26.6.2018 को अपील पेश की व अपीलाधीन आदेश की जानकारी की दिनांक 11.6.2018 होना जाहिर किया है। रैस्पा0 ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से रही हों। अपीलान्ट के कथनों पर विश्वास कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाता है। जहॉं तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट की आवंटित उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) किसी कारण से रोकी गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की आवंटित उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री के उठाव एवं वितरण (सप्लाई) में अनावश्यक विलम्ब रखा गया, साथ ही 90 दिन से अधिक हो चुकें है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट की राशन सामग्री उठाव एवं वितरण (सप्लाई) दिनांक 26.2.2018 रोके जाने के आदेश प्रचलित किये, आलौच्य आदेश पारित करने पूर्व तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही सप्लाई किस कारण से रोकी गई का उल्लेख किया गया है। वक्त बहस भी विभागीय पैरोकार द्वारा कोई ठोस कारण नही बताया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट की सप्लाई अनावश्यक रोकी रखी। साथी अपीलान्ट की सप्लाई रोके रखने के 90 दिन से अधिक हो चुकें है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट की सप्लाई बहाल की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 26–02–2018 को निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकार्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय दिनांक 24–10–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर अलवर
जिला कलक्टर अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner